भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *184

(दिनांक 15.03.2022 को उत्तर देने के लिए)

टीवी चैनलों की सुरक्षा संबंधी मंजूरी

***184. श्री गौरव गोगोई:**

श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मीडिया चैनलों/टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है और यदि हां, तो क्या सरकार ने मीडिया चैनलों पर प्रतिबंध लगाने हेतु किसी नीति की रूपरेखा बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टीवी चैनलों की सुरक्षा संबंधी मंजूरी को रोके जाने के क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2019 से कितने टीवी समाचार चैनलों/टीवी चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं और उन पर हर बार कितनी-कितनी समयावधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि पर्याप्त कारण न होते हुए भी समाचार चैनलों को मनमाने ढंग से निलंबित किया जाना संविधान के अनुच्छेद-19 का उल्लंघन है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चैनलों की शिकायतें सुनने हेतु कौन सा निवारण तंत्र विद्यमान है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>दिनांक 15.03.2022 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *184 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क): अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता तथा उक्त अधिनियम में विनिर्धारित अन्य प्रावधानों के अनुपालन सहित ऐसी अनुमति के निबंधन एवं शर्तो का पालन करना अपेक्षित है।

(ख): अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के तहत किसी सैटेलाइट टीवी चैनल को अनुमति प्रदान करना गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षा मंजूरी के अध्यधीन है।

(ग): मंत्रालय अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश, 2011 के तहत सैटेलाइट टीवी चैनल के संचालन के लिए अनुमति प्रदान करता है। मंत्रालय, अनुमति के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन और कार्यक्रम संहिता के उल्लंघन के लिए टेलीविजन चैनलों के विरूद्ध कार्रवाई करता है। वर्ष 2019 से, मंत्रालय ने अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों और कार्यक्रम संहिता के तहत विभिन्न उल्लंघनों के लिए 15 टीवी चैनलों के संबंध में अलग-अलग समयावधि के लिए प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई की है।

(घ) और (ङ): सरकार किसी चैनल को निलंबित करने/रोक लगाने का निर्णय लेने से पहले उचित कानूनी प्रक्रिया और निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करती है। अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों से संबंधित चैनलों की शिकायतों का निवारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

*****